बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांकः–01 / 08–39 / 2020, परि0 2097 **पटना / दिनांकः–** 29/3/2020

प्रेषक,

सचिव,
परिवहन विभाग।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी,
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी,
बिहार।

विषय– **Covid-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु लागू लॉकडाउन की स्थिति में राज्य के बाहर से आने वाले अप्रवासी मजदूरों एवं अन्य लोगों को गृह जिला पहुँचाये जाने हेतु वाहन की व्यवस्था के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि Covid-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु सम्प्रति लागू लॉकडाउन की स्थिति में सार्वजनिक परिवहन पूर्णतः बन्द है। ऐसी स्थिति में राज्य से बाहर अन्य राज्यों में कार्य करने वाले अप्रवासी मजदूरों एवं अन्य लोगों का पैदल एवं अन्य साधनों से राज्य की सीमा तक पहुँचने की सूचना प्राप्त हो रही है।

आपदा प्रबंधन विभाग, के पत्रांक–1199 / आ०प्र० दिनांक 29.03.2020 द्वारा विभिन्न राज्यों से बिहार राज्य की सीमा पर आकर लोगो को Dedicated वाहन द्वारा उनके गंतव्य तक पहुचाने का निदेश है। उक्त के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक–2096 दिनांक– 29.03.2020 द्वारा विस्तृत निदेश निर्गत है।

उक्त परिपेक्ष्य में आवश्यक है कि सभी जिलों में प्रर्याप्त संख्या में वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय, ताकि लोगों को राज्य की सीमा से गंतव्य जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय से प्रखंड मुख्यालय तक एवं प्रखंड मुख्यालय से गाँव तक सुगमतापूर्वक द्रुत गति से पहुँचाया जा सके। इस क्रम में सीमावती जिलों को भी अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित होगा। विभिन्न जिलों द्वारा वाहनों की व्यवस्था हेतु निम्नवत लक्ष्य निर्धारित किया जाता हैः–

क्र0	जिला	लक्ष्य		क्र0	जिला	लक्ष्य
1	पटना	100		20	दरभंगा	50
2	नालन्दा	30		21	मधुबनी	25
3	रोहतास	50		22	समस्तीपुर	25
4	कैमूर	50		23	सहरसा	30
5	भोजपुर	50		24	सुपौल	15
6	बक्सर	30		25	मधेपुरा	20
7	गया	50		26	पूर्णियाँ	20
8	जहानाबाद	15		27	अररिया	15
9	अरवल	10		28	किशनगंज	15
10	नवादा	40		29	कटिहार	15
11	औरंगाबाद	40		30	भागलपुर	25
12	सारण	25		31	बाँका	10
13	सिवान	40		32	मुंगेर	15
14	गोपालगंज	40		33	लखीसराय	10

15	मुजफ्फरपुर	100		34	शेखपुरा	30
16	सीतामढ़ी	20		35	जमुई	30
17	शिवहर	5		36	खगड़िया	15
18	पश्चिम चम्पारण	25		37	बेगूसराय	50
19	पूर्वी चम्पारण	25		38	वैशाली	40

अनुरोध है कि उपरोक्त लक्ष्य के अनुसार वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

सचिव
परिवहन विभाग

ज्ञापांकः– 2097 **पटना/दिनांकः–**29/3/2020

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/3
सचिव
परिवहन विभाग